<u>बिहार सरकार</u>

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक- 321715 पटना, दिनांक- 16-08-2017

ग्रा0वि0- 07(आं0)-51/2013 (पार्ट-I)

प्रेषक,

सी0 पी0 खंडूजा,

निदेशक (सा0वा0) ।

सेवा में,

<u>सभी जिला पदाधिकारी-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक</u>,

सभी उप विकास आयुक्त-सह-अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

(नवादा को छोड़कर), बिहार ।

विषय:- **महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,बिहार - विलंब से मजदूरी भुगतान हेतु क्षतिपूर्ति भुगतान करने के सम्बन्ध में दिशा निर्देश ।**

प्रसंग:- विभागीय पत्रांक 276082 दिनांक 23.06.2016, पत्रांक 289749 दिनांक 31.10.2016, पत्रांक 292603 दिनांक 30.11.2016 तथा पत्रांक 306921 दिनांक 06.04.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों का कृपया स्मरण किया जाए । अवगत हैं कि मनरेगा अंतर्गत मजदूरों को ससमय मजदूरी का भुगतान किया जाना आवश्यक है । यदि मस्टर रोल बंद होने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की अनुसूची-II के पारा 29 के अनुसार मजदूरी प्राप्तकर्ता मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद के विलंब के लिए भुगतान न की गई मजदूरी पर प्रतिदिन 0.05% की दर से विलंब के लिए क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए हकदार है ।

इस संबंध में विभागीय स्तर पर विभिन्न बैठकों एवं विडियों कॉन्फेंस में निदेश दिये जाते रहे हैं । इस क्रम में प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 306921 दिनांक 06.04.2017 द्वारा मनरेगा अंतर्गत ससमय मजदूरी के भुगतान का अनुश्रवण तथा विलम्ब के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी / कर्मी को चिन्हित करते हुए वसूलनी राशि की गणना के लिए मार्ग-निर्देश दिया गया है । अपेक्षा है कि उक्त विभागीय मार्ग-निर्देश के आलोक में अपने जिला अंतर्गत संबंधित सभी कार्यक्रम पदाधिकारी को आवश्यक निदेश निर्गत किये गये होंगे ।

अतएव अनुरोध है कि अपने जिला अंतर्गत संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को निर्गत किये गये आदेश / निदेश की प्रति विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध करायी जाए ।

विश्वासभाजन

16/08

(सी0 पी0 खंडूजा)

निदेशक (सा0वा0)